रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250469 CG-DL-E-07122023-250469

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49521

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2023/अग्रहायण 16, 1945

No. 4952]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2023/AGRAHAYANA 16, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5177(अ).—केन्द्रीय सरकार की,भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन(पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होना** यह इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।

7541 GI/2023 (1)

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानकका नाम
(1)	(2)	(3)
उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें		उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन(पीपी) बुने हुए बोरें-विनिर्देश

टिप्पण: अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण.ऐसी अधिसचना की तारीख से लागु होगा।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 6th December, 2023

- **S.O.** 5177(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -
- 1. **Short title and commencement** (1) This order may be called the Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers (Quality Control) Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Application-** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed in this Order and shall not apply to goods or article meant for export.
- 3. **Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark-** Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- 4. **Certifying and enforcing authority-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

SCHEDULE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers		Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers – Specification

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली. 6 दिसम्बर. 2023

का.आ. 5178(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होना-** यह इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानकका नाम
(1)	(2)	(3)
The state of the s		50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा उच्च घनत्व
उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें		के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें-विनिर्देश

टिप्पण : अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण,ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 2023

S.O. 5178(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -

- **1. Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Application-** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to goods or article meant for export.
- 3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark- Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- 4. **Certifying and enforcing authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

SCHEDULE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement		Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement- Specification

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5179(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा –पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होना** यह इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानकका नाम
(1)	(2)	(3)
50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा – पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व		50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा – पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम बॉल्व-विनिर्देश

टिप्पण : अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण.ऐसी अधिसचना की तारीख से लागु होगा।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 2023

- **S.O.** 5179(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:
- 1. **Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Application-** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this order and shall not apply to goods or article meant for export.
- 3. **Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.** -- Goods or articles specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- 4. **Certifying and enforcing authority-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

SCHEDULE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement		Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement- Specification

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

- का.आ. 5180(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पिठत धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 25 कि.ग्रा. पॉलिमर मटिरीयल्स की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होना** यह इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानकका नाम
(1)	(2)	(3)
25 कि.ग्रा. पॉलिमर मटिरीयल्स की पैकेजिंग के लिए कपड़ा उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन		25 कि.ग्रा. पॉलिमर मटिरीयल्स की पैकेजिंग के लिए कपड़ा उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/
(एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें		पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें-विनिर्देश

टिप्पण : अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसुचना की तारीख से लागु होगा।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 2023

- **S.O.** 5180(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -
- 1. **Short title and commencement** (1) This order may be called the Textiles High Density Polyethylene (HDPE) Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 25 kg Polymer Materials (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Application-** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed in this order and shall not apply to goods or article meant for export.

- 3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark- Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- 4. **Certifying and enforcing authority-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

SCHEDULE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 25 kg Polymer Materials	3	Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 25 kg Polymer Materials - Specification

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the last version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5181(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा-पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/ उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होनाः** यह इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानकका नाम
(1)	(2)	(3)
डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा-पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) /उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरें		डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा-पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) /उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरें-विनिर्देश

टिप्पण: अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसचना की तारीख से लाग होगा।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 2023

- **S.O.** 5181(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -
- 1. **Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles Polypropylene (PP)/High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Application-** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to goods or article meant for export.
- 3. **Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark-** Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- 4. **Certifying and enforcing authority-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

SCHEDULE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution		Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution - Specifications

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.